### न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-363 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक- 04.11.2015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। ......**अभियोजन** 

विरुद्ध

लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम नारहट, जिला अशोकनगर म0प्र0 ......**अभियुक्त** 

—: <u>निर्णय</u> :—

- (आज दिनांक 13.09.2017 को घोषित) 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की
- 01—आमयुक्त के विरूद्ध भावदेवाविव की धारा 304 ए एवं महिरयान आधानयम की धारा 3/181, 146/196 आरोप है कि उसने दिनांक 02.03.2015 को समय दिन में 03:20 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टीव्हीवएसव स्पोर्टस क्रमांक यूवपीव 94 एमव 0291 को बिना डाईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक केशकुंवर बाई को मोटरसाईकिल से गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.2015 को 03:30 बजे अभियुक्त लक्ष्मण व मृतका केशकुवंरबाई सिहत अनिल के साथ मोटरसाईकिल कमांक यूपी 94 एम 0291 से चंदेरी से कनावटा जा रहा था, केश कुवरबाई मोटरसाईकिल में पीछे बैठी थी, अभियुक्त लक्ष्मण मोटरसाइकिल को तेजी व लापवारही से चला रहा था जिससे विक्रमपुर घटिया के नीचे रोड पर मोटरसाईकिल से केश कुवरबाई नीचे गिर गई थी और गिरने से उसकी मृत्यु कारित हुई। केश कुवरबाई की मृत्यु जांच तहरीर सूचना पर से मर्ग क 7/15 पर कायम कर धारा 174 सीआरपीसी कायम कर जांच में लिया गया। जांच में अपराध सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक 114/15 अंतर्गत धारा— 304 ए भा0द0वि0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 5/180 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण

# हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03-प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 20.12.2016 को फरियादी राजभान के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) एवं 320 (4) द0प्र0स0 का प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अभियुक्त पर आरोपित अपराध भा०द०वि० की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 शमनीय प्रकृति की न होने के कारण प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त कर उक्त धाराओं के तहत अभियुक्त का विचारण जारी रहा।
- 04-अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनायें गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2015 को समय दिन में 03:20 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टी०व्ही०एस० स्पोर्टस क्रमांक यू०पी० ९४ एम० ०२९१ उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मृतक केशकुंवर बाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नही आता きっ
- क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना डाईविंग लाइसेंस के चलाया ?
- क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?
- दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

# विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष

- 06— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नवृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक नंदिकशोर झा (अ०सा0—3) सिहत मृतका केशकुंवर बाई का पित राजभान (अ०सा0—1), परमाल (अ०सा0—4), रामभरत (अ०सा0—5), नत्थू यादव (अ०सा0—6) के कथनों सिहत ६ । टना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अनिल कुमार (अ०सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 07— प्रधान आरक्षक नंदिकशोर (अ०सा०—3) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 17.04.2015 को सूचना प्राप्त हुई थी कि परमाल (अ०सा०—3) की पत्नी की मृत्यु अभियुक्त लक्ष्मण सिंह की मोटरसाइकिल से गिरने से हो गई हैं। उक्त सूचना अस्पताल तहरीर पर प्राप्त हुई थीं, जिस पर मर्ग कायम कर उसकी जांच की गई थी जिसमें अपराध सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमाक 114/15 अंतर्गत धारा 304 ए भादिव का अपराध पंजीबद्ध कर प्रदर्श—पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लेखबद्ध की गई जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। प्रधान आरक्षक नंदिकशोर असा 3 का अपने कथनो में यह भी कहना है कि मृत्यु की जांच के संबंध में शफीना फार्म प्रदर्श—पी 5 एवं नक्शा पंचायत नामा प्रदर्श—पी 6 तैयार किया गया था तथा साथ ही मृतका की मृत्यु के कारण जानने के लिये शव का परीक्षण हेतु प्रदर्श—पी 7 का आवेदन तैयार कर चंदेरी अस्पताल भेजा था, उपरोक्त प्रदर्श—पी 5, 6 व 7 के दस्तावेजों पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 08— अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षी राजभान (अ०सा0—1) जो कि मृतका का पित हैं, ने अपने न्यायालीन कथनो में केशकुंवर बाई की दुर्घटना में मृत्यु होने की पुष्टि की है तथा इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी केशकुंवर बाई ग्राम इमलिया से आरोपी के साथ आ रही थीं, परन्तु केशकुंवर बाई की मृत्यु कैसे हुई तथा किस घटना में हुई इसकी जानकारी इस साक्षी ने न होना बताया है तथा केशकुंवरबाई को अभियुक्त के साथ ग्राम इमलियां से पैदल आना बताया है। साक्षी राजभान (अ०सा0—1) मृतका पित हैं तथा अभियुक्त के उसके साले का लड़का है इसका उल्लेख इस साक्षी के द्वारा

पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श—पी 1 में हैं, परन्तु राजभान (अ०सा0—1) ने पुलिस को प्रदर्श—पी 1 के कथन ही न देना बताया है। यह कैसे संभव है कि पित को अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एवं कारक की जानकारी न हो। अभियुक्त के साथ राजभान (अ०सा0—1) व मृतका केशकुवंरबाई के संबंध एवं प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामें के कारण निश्चित रूप से इस साक्षी के न्यायालीन कथन प्रभावित हुये प्रतीत होते हैं।

- 09— घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अनिल कुमार (अ0सा0—2) के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय अनिल कुमार (अ0सा0—2) उसी मोटरसाइकिल पर सवार था जिसे लक्ष्मण चला रहा था और मृतका केशकुंवरबाई पीछे बैठी थी तथा घटना की सूचना इसी साक्षी ने परमाल (अ0सा0—4), राम भरत (अ0सा0—5) व नत्थू यादव (अ0सा0—6) को दी थी। अनिल कुमार (अ0सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना का प्रत्यक्षदर्शी होते हुये भी अभियोजन का कोई समर्थन नही किया है। यह साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में केशकुवरबाई की मृत्यु मोंटरसाईकिल के एक्सीडेंट से होने का मालूम पडना बताता हैं तथा इस साक्षी का कहना है कि मोटरसाईकिल किसकी थी उसे इसकी जानकारी नही है। अतः यह साक्षी अपने सामने घटना घटित होने से अप्रत्यक्ष रूप से इन्कार करता है तथा घटना के संबंध में पुलिस को भी प्रदर्श—पी 2 के कथन न देना बताता है।
- 10— परमाल (अ०सा0—4), रामभरत (अ०सा0—5) व नत्थू यादव (अ०सा0—6) ने अपने न्यायालीन कथनों में केश कुवरबाई की किसी वाहन से एक्सीडेंट होने से मृत्यु होने के संबंध में न्यायालय में कथन अवश्य दिये है, परन्तु इनमें से किसी भी साक्षी का यह कहना नही है कि केश कुवंरबाई की मृत्यु अभियुक्त के द्वारा मोटरसाईकिल कमांक यू०पी० 94 एम० 0291 को उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक चलाकर केश कुवंरबाई को मोटरसाइकिल से गिराकर कारित की गई। परमाल (अ०सा0—4) का जहां यह कहना है कि विक्रम चोकी के आसपास केश कुवंरबाई को किसी जीप ने टक्कर मार कर मृत्यु कारित की थीं। वहीं रामभरत (अ०सा0—5) भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि उसे गांव में यह सूचना मिली थी कि केश कुवर बाई की मृत्यु जीप की टक्कर लगने से हुई है। नत्थू यादव (अ०सा0—6) किसी दुर्घटना में केश कुवर बाई की मृत्यु होना अपने कथनों में स्वीकार करता है परन्तु यह साक्षी का यही कहना है कि घटना किस वाहन से हुई थीं इसकी जानकारी उसे नहीं है।

- 11— परमाल (अ०सा0—4) सहित रामभरत (अ०सा0—5) व नत्थू यादव (अ०सा0—6) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों ने अपने कथनों में अभियुक्त के विरुद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नही दिये है। अभियोजन कहानी के अनुसार परमाल (अ०सा0—4) जिसे घटना की जानकारी अनिल (अ०सा0—2) के द्वारा फोन पर दी गई थी, अपने न्यायालीन कथनों में यह बात तो स्वीकार करता है कि अनिल (अ०सा0—2) घटना के समय केश कुवरबाई के साथ था तथा उसी ने ही घटना की जानकारी उसे दी थी। नत्थू यादव (अ०सा0—6) भी अपने कथनों में यह स्वीकार करता है कि दो साल पहले अप्रैल के महीने में परमाल (अ०सा0—4) को अनिल (अ०सा0—2) के द्वारा फोन पर केश कुंवरबाई की दुर्घटना के बारे में जानकारी दी गई थी। राजभान (अ०सा0—1) भी अपने कथनों में यह कहता है कि ग्राम इमंलिया से आरोपी उसकी पत्नी केशकुंवरबाई के साथ आ रहा था, परन्तु इस साक्षी का अभियोजन घटना के विपरीत यह कहना है कि वह पैदल आ रहा था।
- 12— राजभान (अ०सा0—1) स्वयं परमाल (अ०सा0—4) व नत्थू यादव (अ०सा0—6) के कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि केशकुंवरबाई की मृत्यु के समय अनिल कुमार (अ०सा0—2) के द्वारा केश कुवरबाई की मत्यु की जानकारी अन्य लोगों को दी गई थी, परन्तु स्वयं अनिल कुमार (अ०सा0—2) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है कि अपने कथनों में केश कुवरबाई का किसी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने के संबंध में तो कथन देता है परन्तु यह जानकारी भी वह अन्य से प्राप्त होना बताता हैं अतः अनिल कुमार (अ०सा0—2) के कथन अनुसार घटना के समय वह केशकुवरबाई के साथ नहीं था।
- 13— परमाल (अ०सा0—2) ने अपने कथनो में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि अनिल ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त लक्ष्मण के साथ मोटरसाईकिल पर अनिल बीच में तथा केश कुवरबाई पीछे बैठी थीं तथा इस बात का भी खण्डन किया है कि अनिल ने उसे बताया था कि अभियुक्त मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिससे केश कुवरबाई की गिरने से मृत्यु हुई। इसी प्रकार रामभरत (अ०सा0—5) भी इस बात का खण्डन करता है कि उसके सामने अनिल (अ०सा0—2) ने परमाल को फोन पर यह बताया था कि अभियुक्त के द्वारा अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसी

केशकुवरबाई को मोटरसाईकिल से गिरा कर उसकी मृत्यु कारित की। वहीं नत्थू यादव (अ०सा०–६) इसकी जानकारी होने से ही इन्कार करता है कि अनिल ने परमाल (अ०सा0–4) को फोन पर क्या बताया।

- 14— राजभान (अ०सा0—1) अनिल कुमार (अ०सा0—2) प्रधान आरक्षक नंदिकशोर (अ०सा0—3) परमाल (अ०सा0—4) रामभरत (अ०सा0—5) व नत्थू यादव (अ०सा0—6) के कथनों से यह तो स्थापित होता है कि केश कुवरबाई की मृत्यु सामान्य न होकर दुर्घटना में हुई थी, परन्तु घटना के समय केशकुंवरबाई अभियुक्त की मोटरसाईकिल पर बैठी थी उक्त मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण केश कुंवरबाई की गिर कर मृत्यु कारित हुई थीं इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अभियोजन के अनुसार राजभान (अ०सा0—1), परमाल (अ०सा0—4) रामभरत (अ०सा0—5) व नत्थू यादव (अ०सा0—6) घटना के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हैं, जबिक अनिल कुमार (अ०सा0—1) घटना के समय मृतका केश कुवर बाई के साथ होने के बाद भी घटना के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं देता है तथा किसी अन्य के माध्यम से केशकुवरबाइ की एक्सीडेंट में मृत्यु की जानकारी होना बताता है। उक्त घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई इस संबंध में इस साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये है।
- 15— अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि घटना दिनांक अभियुक्त मोटरसाईकिल क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 को लोक मार्ग पर उपेक्षा व उताबले पन से चला रहा था और उस मोटरसाईकिल पर उस समय केशकुवरबाई भी उसके साथ थी। अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि केशकुवरबाई की मृत्यु अभियुक्त के द्वारा चलाई जा रही मोटरसाईकिल क्रमाक यू0पी0 94 एम0 0291 से गिरने के कारण हुई थी।
- 16— प्रधान नंदिकशोर (अ०सा०—6) के द्वारा मर्ग जांच कर प्रकरण की विवेचना भी की गई इस साक्षी का यह कहना है कि उसे दिनांक 17.04.2015 को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मण सिंह के द्वारा चलाई जा रही मोटरसाईकिल से गिरकर केश कुवरबाई की मृत्यु हुई हैं तथा उक्त सूचना उसे अस्पताल तहरीर पर प्राप्त हुई थीं। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे मर्ग इंन्टीमेशन में यह सूचना नहीं मिली थी अभियुक्त लक्ष्मण के द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से

चलाकर केश कुवरबाई की मृत्यु कारित की गई। यह साक्षी ने यह स्वीकार किया हे कि अस्पताल की तहरीर और मर्ग इंटीमेशन में इस बात का उल्लेख नही है कि किस व्यक्ति के वाहन के द्वारा दुर्घटना हुई थी। अतः स्पष्ट है कि प्रधान आरक्षक नंदिकशोर असा 3 भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है, बल्कि प्रकरण कि विवेचना के दौरान साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर ही इस साक्षी का यह कहना है कि लक्ष्मण की मोटरसाईकिल से गिरकर केश कुंवरबाई की मृत्यु कारित हुइ थी, परन्तु उन्ही साक्षियों के द्वारा न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का ही समर्थन नही किया गया तथा घटना के एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अनिल कुमार असा 2 भी केश कुवरबाई की मृत्यु की जानकारी किसी अन्य से प्राप्त होना बताता है।

- 17— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन घटना के समर्थन में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2015 को समय दिन में 03:20 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टी०व्ही०एस० स्पोर्टस क्रमांक यू०पी० 94 एम० 0291 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मृतक केशकुंवर बाई को गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है
- 18— किसी भी मोटरयान को सार्वजिनक स्थान पर बिना डाईविंग लाईसेंस व बिना बीमा के चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के तहत् दण्डिनीय अपराध है। बिना वाहन चलाये वाहन के खड़े रहने पर मात्र डाइविंग व वाहन का बीमा का न होना अपने आप में अपराध नही है जब तक की ऐसी स्थिति होते हुये सार्वजिनक स्थान पर ऐसे मोटरयान को न चलाया जाये। वर्तमान प्रकरण में यिद यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त के पास वाहन का बीमा एवं वाहन चलाने का डाईविंग लाईसेंस नही था तब भी यिद अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नही है कि अभियुक्त ने विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टीव्ही०एस० स्पोर्टस क्रमोंक यू०पी० 94 एम० 0291 को चलाया था, और घटना कारित की थीं, तो मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त के पास मोटरसाईकिल चलाने का डाईविंग लाईसेंस नही हैं एवं यू०पी० 94 एम० 0291 बीमित नही हैं, के आधार मात्र पर मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के आरोप साबित नही होते है।

- 19 फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर **अभियुक्त** लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव को भा0द0वि0 की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
  - 20— <u>अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकिल टी०व्ही०एस० स्पोर्टस कमांक यू०पी० ९४ एम० ०२९१ पूर्व से सुपुर्दगी पर सुपुर्दनामा वाद मियाद अपील भार मुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)